संख्या–1896/33–3–2019–68/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज,अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक–14 अगस्त, 2019**

विषयः– ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के अभियान वर्ष 2019–20 के मार्ग निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–53/2018/1706/33–3–2018–68/2018, दिनांक–20.06.2018 द्वारा वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उक्त शासनादेश में आपरेशन कायाकल्प हेतु प्राप्त निर्देश के क्रम में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवन यथा प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, ए.एन.एम. सेन्टर, ग्राम सचिवालय/ पंचायत घर, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं राज्य वित्त आयोग के मध्य कार्य अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरुप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार खड़ंजा/इण्टर–लॉकिंग/सी.सी.रोड निर्माण कार्य, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुये पठन–पाठन की गुणवत्ता में सुधार किये जाने, कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण एवं ग्राम्य विकास के समन्वय से प्राकृतिक नालों, छोटी नदियों व पोखरों के जीणोद्धार की कार्ययोजना तैयार कर कृषि योग्य भूमि को संरक्षित व उपयोगी बनाया जाने हेतु मार्ग–निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के परिपालन में वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों को ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जाने वाले विकास कार्य हेतु निम्नवत् मार्ग–निर्देश निर्गत किए जाते हैं:–

(1) वित्तीय वर्ष 2018–19 में ऑपरेशन कायाकल्प की बेवसाइट के अनुसार कुल 2,77,999 कार्यों के सापेक्ष 1,11,005 की पूर्ति की गयी है। ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक भवनों (पंचायत भवन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र) के अनुरक्षण से सम्बन्धित सिविल कार्य (टाइल्स/ मरम्मत/रंगाई–पुताई आदि) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी मूल–भूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु ग्राम सभा बैठक कर ग्राम में पूर्व से निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कर पूर्ण कराये जाने है।

(2) शासनादेश संख्या–858/33–3–2019–68/2018, दिनांक–18.04.2019 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत पुनर्निर्माण करायी गयी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से किये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों का ग्राम पंचायतवार लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण कराते

हुए कार्यों का जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को जियो टैगिंग हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति सूचना ऑपरेशन कायाकल्प की वेबसाइट के निर्धारित प्रपत्र पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) **बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सूचना ऑपरेशन कायाकल्प की बेवसाइट operationkayakalp.up.gov.in के निर्धारित प्रपत्रों पर पाक्षिक रुप से अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागों की प्रगति की सूचना नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रत्येक माह बैठक कर योजना की प्रगति, गुणवत्ता, सफल क्रियान्वयन, लक्ष्य पूर्णता एवं रिर्पोटिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर पूर्ण कराने का अभियान चलाते हुए निरन्तर समीक्षा करते हुए operation kayakalp.up.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा सूचना जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Dell/d/kranti/GO